<u>सार्वजनिक सूचना</u>

कृपया मल्टीलेविल कार पार्किंग, बोटेनिकल गार्डन, सेक्टर 38ए, नोएडा के भूतल पर निर्मित 12 दुकानों, द्वितीय तल पर निर्मित 08 दुकानों एवं सातवें तल पर निर्मित 02 रेस्टोरेन्ट का आवंटन अनुज्ञा के आधार पर किये जाने हेतु योजना का प्रकाशन दिनांक 14.01.2021 से 13.02.2021 तक के लिये कराया गया है । योजना में ऑनलाईन पंजीकरण एस.बी.आई. के पोर्टल https://property.etender.sbi/SBI/ पर दिनांक 14.01.2021 प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ होगा । योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10.02. 2021 सांय 5.00 बजे तक निर्धारित है । योजना में सम्मिलित परिसम्पत्तियों के विरूद्ध कोई भी ई–निविदाकार, साझेदारी फर्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आवेदन कर सकती है । भूतल की दुकान हेतु Non refundable & Non adjustable आवेदन शुल्क के रूप में रू 1500+ नियमानुसार जी.एस.टी., द्वितीय तल की दुकान हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रू 4000+ नियमानुसार जी.एस.टी. व सातवें तल के रेस्टोरेन्ट के लिये आवेदन शुल्क के रूप में रू 25000+नियमानुसार जी.एस.टी शुल्क देय होगा ।

योजना में सम्मिलित भूतल की 28 दुकानों के लिये न्यूनतम किराया शुल्क रू 726.80 प्रति वर्ग मीटर, द्वितीय तल की 08 दुकानों के लिये न्यूनतम मासिक किराया रू 739.52 प्रति वर्ग मीटर व सातवें तल के रेस्टोरेन्ट के लिये न्यूनतम मासिक किराया रू 603.72 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है । ई–ऑक्शन में प्रथम बोली आरक्षित दर से रू 50/– प्रति वर्ग मीटर की अतिरिक्त वृद्धि कर लगायी जायेगी । योजना में सम्मिलित दुकानों के विरूद्ध ई–ऑक्शन दिनांक 15.02.2021 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक कराया जायेगा । आवेदक द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रपत्रों का सत्यापन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.02.2021 तक कराने के उपरान्त सफल आवेदक के पक्ष में परिसम्पत्ति का आवंटन पत्र दिनांक 23.02.2021 को जारी किया जायेगा । सफल आवेदक को किराया अनुबंध के साथ 11 माह के किराये की धनराशि का एकमुश्त भुगतान प्राधिकरण को करना होगा । इसी के साथ आवेदक को 01 माह के किराये के बराबर की धनराशि सिक्यूरिटी फीस के रूप में जमा करनी होगी जो अनुज्ञा अवधि समाप्त होने पर कोई देयता अवशेष न होने पर वापिस कर दी जायेगी । अनुज्ञा अनुबंध की अवधि 11 माह की होगी तथा अनुज्ञाधारी को अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व अनुज्ञा अनुबंध के नवीनीकरण हेतु अपनी लिखित सहमति प्राधिकरण को देनी होगी । अनुज्ञा अनुबंध का नवीनीकरण अनुज्ञा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किया जायेगा । अनुज्ञाधारी अपने अनुज्ञा अनुबंध का हस्तांतरण नहीं कर सकेगा और न ही उक्त परिसम्पत्ति पर किसी बैंक/ऋणदाता संस्था से बंधक अनुमति प्राप्त कर सकेगा । योजना की नियम व शर्तें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वेबसाईट https://property.etender.sbi/SBI/ पर उपलब्ध है ।